

27.8.2020

वकील वादी श्री राजनाराम ने दामिद
अदालत होकर वादपत्र पेश किया। वादपत्र दर्ज
रखिये जाये। प्रतिवादी की तलबी जरिह
फरमान की जाकर पञ्चावली दिनांक 03/9/2020
को पेश हो।

1346

27/8/2020

03/09
2020 पञ्चावली पेश हुई। वकील वादी उषा
प्रतिवादी सं. 1 की तामिल सम्पत्त रूप से हो
सुने हैं। वादपत्र सम्पत्त तामिल अनुपस्थित
रहने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध कम्प्लीट
कार्यावली अमल में लगी जाती है। पञ्चावली
वास्तु बहस दिनांक 18/9/2020 को पेश हो।

18/9/2020

पञ्चावली पेश हुई। वकील वादी उषा
वकील वादी ने दस्तावेजात पेश किये जो
अधिक पञ्चावली किये गये। प्रकरण में बहस
वकील वादी सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी
ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते
हुए सुनारिक अनुलोप दया डिडी फरमाने का निवेदन

किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री
रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात आदि का क्रमबद्ध
किया गया एवं वदस वकील वादी पर सर्वो
मनन किया गया जिससे वादी का वाद स्वीक
किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार कि
जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से
लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया
पत्रावली फौजल शुमार दोकर नम्बर से कम हो
तथा वाद तहमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय
आप दिनांक 18/9/2020 को मेरे द्वारा खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/2020

(रामेश कुमार)

RAS

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

